विधान कार्य :
सरकारी विधेयक :
Legislative Business : Official Bills :

बिहार ऐप्रोप्रियशन (नं० ३) बिल, १९५९ (१९५९ की विधेयक संख्या १६)

THE BIHAR APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1959 (L.A. BILL NO. 16 OF 1959).

श्री अम्बिका सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि बिहार ऐप्रोप्रियशन (नं० ३) बिल, १९५९ पर विचार हो।

श्री चुनका हेम्ब्रम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय उप वित्त मंत्री ने जो बिल हाउस के सामने रखा है उसके संबंध में हमें अभी विचार करना है। इन्होंने जो सप्लीमेन्टरी बजट रखा है उसके संबंध में हमें कुछ कहना है। इनके इस बजट को बनाने के जो तरीके हैं वे बिल्कुल ही गलत है। बजट बनाने का तरीका इनका अच्छा नहीं है। इनका बजट ऐसा नहीं होता है जिससे हमलोगों को काफी प्रकाश मिले। आपको मालूम होगा कि इनका जो भी सप्लीमेन्टरी बजट बनता है वह बिल्कुल गलत साबित हुआ है। पुराने स्कीम के लिये ही ये रुपये सप्लीमेन्टरी बजट बनाकर पास करा लेते हैं मगर खर्च नहीं होता है। १९५८ में १९५६-५७ के बजट का जो ऑडिट हुआ उससे भी मालूम होता है कि इनका जो सप्लीमेन्टरी बजट होता है वह बिल्कुल ही गलत होता है। नये स्कीम के लिये अगर ये रुपये मांगते तो कोई बात न होती मगर पुराने ही स्कीम के लिये रुपया ले लेते हैं और खर्च भी नहीं होता है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि हाउस ने सब आइटम को मंजूर कर दिया है।

श्री चुनका हेम्ब्रम--सालों साल अननेसेसरी (अनावश्यक) रुपया ले लेते हैं और ऑडिटर उन्हें गलत साबित कर देता है। इसी तरह से आज फिर यह सप्लीमेंटरी बजट पास होगा और रुपया यों ही पड़ा रह जायगा और फिर ऑडिट होगा और ऑडिटर इसको गलत साबित कर देगा १९५६-५७ में इरीगेशन डिपार्टमेंट का ऑरीजिनल (मौलिक) बजट ११ करोड़ ४० लाख ७० हजार १४७ रुपये का था फिर उसके लिये सप्लीमेन्टरी बजट भी ३ लाख ७२५ रुपये का पास हुआ मगर कुल रुपये का ४५ प्रतिशत भी खर्च नहीं हो सका।

श्री अम्बिका सिंह--माननीय सदस्य इस साल की कोई घटना बतायें। अभी जो बता रहे हैं वह तो १९५६-५७ का है। हम गलतियों को सुधारने का बराबर ख्याल रखते हैं। फिलहाल की घटना बतायें तो हम उसपर फिर ध्यान देंगे।

श्री चुनका हेम्ब्रम--अध्यक्ष महोदय, ऐसा हमेशा होता रहता है। यह एक ही डिपार्टमेंट की बात नहीं है। अधिकांश डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसी तरह हुआ है। इसका भी ओरीजिनल बजट १६ करोड़ ७२ लाख ३ हजार ६७६ रुपये का था फिर सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा ८ लाख ५ हजार ३ रुपया और बढ़ा दिया गया मगर कुल रुपये में से ५१ लाख ७६ हजार ४६ रुपया भी खर्च नहीं हो सका। यानी इस तरह आप देखेंगे कि बराबर रुपया पूरक अनुदान करके मंजूर करा लेते हैं और खर्च नहीं हो पाता है। रुपया पुराने स्कीम के लिये जो ओरीजिनल संक्शन होता है उसी में से रह जाता है। इस तरह से रुपया साल-साल भर सड़ा कर रखने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये सप्लीमेन्टरी बजट से रुपया पास करके देना हम उचित नहीं समझते हैं। यदि इस रुपये से कोई नयी स्कीम बनाते तो अच्छा होता, लेकिन आप वैसा नहीं कर पाते हैं। यदि आपकी यही नीति रही और इसी तरह सोचते रहे तो काम नहीं चलेगा।

बजट जो बनाते हैं उसे सोच विचार कर बनाना चाहिए। यह सप्लीमेंटरी बजट जो बना है इससे भी सोच विचार कर बनाना चाहिये, लेकिन यह बिल्कुल गलत ढंग से किया गया है।

अध्यक्ष— यह तो एस्टीमेट है।

श्री चुनका हेम्ब्रम—सवाल यह है कि पचास परसेंट तक रुपया सरेन्डर किसी-किसी महीने में किया जाता है। इस तरह का एस्टीमेट भी नहीं होना चाहिए।

श्री अम्बिका सिंह—हुजूर, यह १९५६-५७ के बजट की बात है। इस साल के बजट के बारे में अगर कहा जाता तो कोई लाभ भी होता।

श्री चुनका हेम्ब्रम—इसके संबंध में दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि २९ गाड़ियों को खरीदने के लिये रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन को १४ लाख रुपये देने की बात है।

अध्यक्ष—इस पर तो बहस हो चुकी है।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—इस चीज के बारे में बहस नहीं हुई है। कारपोरेशन को रुपया देंगे और बिजनेस चलायेंगे। कारपोरेशन उनका नहीं है और इसके संबंध में डिसकशन नहीं हुआ है। मैं स्पेसिफिक प्वायंट्स रेज करूंगा।

अध्यक्ष—मैं रूल पढ़ता हूं, सुनिये :—

Rule 188(5) :—"If an Appropriation Bill is in pursuance of a supplementary grant in respect of an existing service, the discussions shall be confined to the items constituting the same and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it.........."

So it must be confined to the item concerning the grant.

श्री चुनका हेम्ब्रम—उन्होंने हुजूर, रुपया दिया और गाड़ी खरीद ली गयी, लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं कि इस संबंध में जनता में भ्रम नहीं फैलना चाहिए।

इन्होंने तीन रूट को नोटीफाइ किया है जो भागलपुर से दुमका, दुमका से देवघर और देवघर से भागलपुर जाता है। इन्हीं तीनों रूटों को नेशनलाइज करने के लिए नोटीफाइ किया गया है। इन तीनों रूटों में ७६ परमीटें हैं और उसमें २६ गाड़ियों से ये काम चलाना चाहते हैं। ७६ परमीटों को कैन्सिल करके २६ गाड़ी से कैसे काम चलेगा, यह देखना है।

अध्यक्ष—इसका तो जिक्र नहीं है।

श्री चुनका हेम्ब्रम—लेकिन हम जानते हैं हुजूर, कि २६ गाड़ियाँ वहां देने जा रहे हैं और गजट में भी नोटीफाइ करा दिया गया है। हमारा पूर्ण अधिकार है यह देखने का कि जनता को तकलीफ नहीं हो। जहां-जहां इन्होंने नेशनलाइज किया है वहां-वहां के प्राइवेट बस ओनर तो बर्बाद हो ही गए हैं उसके बारे में मुझे नहीं कहना है लेकिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए।

दूसरी बात में कमर्शियल टैक्सेज के अन्दर जो कमिश्नर बहाल करने जा रहे हैं, उसके संबंध में बोलना जरुरी समझता हूं।

अध्यक्ष—यह हो चुका है।

श्री चुनका हेम्ब्रम—लेकिन हुजूर, हम स्पेसिफीक बात कहेंगे। खैर, उसको जाने दीजिए में दूसरी बात कहूंगा। अभी एक आदमी ने बताया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को कुछ रुपया दिया गया है। सिंहभूम जिला में घाटशिला थाना के अन्दर मुसाबनी ब्लौक है। वहां एक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बनी। उसमें बेनिफिशियरीज का एक लिस्ट तैयार किया गया। लेकिन उस लिस्ट के अनुसार लोगों को पानी नहीं दिया गया। और जिन लोगों को पानी नहीं मिला उनके पास भी २५ सितम्बर १९५९ को नोटिस दी गयी कि उनसे भी खर्चे की रकम ली जायगी। यह एक अजीब सी बात होती है। खर्चा वसूल करने का इस तरह का तरीका ठीक नहीं है। इस ओर में मंत्री महोदय का ध्यान इसलिए दिलाया कि उनको भी इसकी जानकारी हो जाय। इन्हीं सब कारणों से मैं इस-बिल का विरोध करता हूं और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सप्लीमेन्टरी बजट में जो गड़बड़ी है आगे चलकर वैसी गड़बड़ी फिर से न दोहराई जाय।

*श्री कपिलदेव सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ऐप्रोप्रिएशन बिल आज सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैंने देखा है कि सप्लीमेन्टरी बजट में भी पुलिस और शिक्षा के मद में रुपए लिए गये हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन पुलिस और शिक्षा के संबंध में मुझे चन्द शब्द कहना बहुत जरूरी है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें लखीसराय बाजार पड़ता है। वहां एक सिनेमा हाउस है। उसके मालिक श्री दशरथ प्रसाद सिंह ने .....।

अध्यक्ष—मैंने भी इस तरह का कोई प्रश्न ऐडमिट किया है जिसमें प्रोसेशन, मीटिंग और रिजोलुशन की बात आयी है।

श्री कपिलदेव सिंह--जी हां, तो उस सिनेमा हाउस के मालिक ने किशुन मिस्त्री और उसका भाई, जिसका नाम राजकुमार है और उसके एक आदमी को बहुत बेरहमी से पीटा। वे लोग लखीसराय थाना के दारोगा के पास इत्तला देने गये तो दारोगा ने बजाय ठीक से तहकीकात करने और उस जमींदार को रोकने के, उन मजदूरों से कहा कि तुम लोग बड़े आदमियों से क्यों गुस्ताखी करते हो? इस तरह करने का यही हाल होता है। मैं भी पिछले महीने के २७ तारीख को वहां गया था। उस दिन असेम्बली बन्द थी। मैंने उन तीनों मजदूरों को देखा है। एक मजदूर के पीठ पर पचीसों बेंत के निशान हैं। उसकी पीठ बिल्कुल फटी हुई है। उस केस में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहां के लोगों पर गहरा असर पड़ा और वहां के बाजार में कंप्लीट हड़ताल हुई। यहां तक की चाय, पान इत्यादि की दूकानें भी बन्द थीं। उसके बाद वहां एक आम सभा हुई जिसमें एक रिजोलुशन पास किया गया कि उस केस में निष्पक्ष जांच की जाय और सिनेमा प्रोप्राइटर की लाइसेन्स खत्म कर दी जाय। वहां के लोग सिनेमा का बहिस्कार भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष--बहिष्कार चल रहा है या नहीं?

श्री कपिलदेव सिंह--उसके कुछ अपने १०-२० आदमी ही आमतौर पर जाते हैं। वहां के लोगों को यह धमकी दी जा रही है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर बाजार लूट लिया जायगा। वहां ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वहां के बाजार में पूजा के समय ५०-६० हजार आदमी से भी अधिक लोग इकट्ठे होते हैं और उस अवसर पर अगर चन्द गुंडों को मंगाकर किसी प्रकार की लूट खसोट शुरू हुई तो इसका फल यह होगा कि कितनों की रोटी छीन जायगी, कितने लोग जख्मी हो जायंगे और हजारों की जानें मुफ्त में चली जायेंगी और सीतामढ़ी का दूसरा कांड वहां भी आरंभ हो जायगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी छान-बीन कर कम-से-कम पूजा के अवसर पर इस तरह की घटना न घटे इसके लिए उचित प्रबंध किया जाय। वहां की पुलिस बिल्कुल बेकार-सी है।

अब मैं एक दूसरी चीज, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। आज शिक्षा पर हमलोग काफी रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी २६ तारीख को नालंदा कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी जिसमें सैकड़ों आदमी दो बजे दिन में ही कॉलेज में घुस गये और एक लड़के को जबरदस्ती कॉलेज से उसके गले में ताम्बा का तार डाल कर बाहर निकाला और फिर उसको इतनी मार पड़ी कि आज भी वह लड़का अस्पताल में पड़ा हुआ है। यह झगड़ा इस घटना के २४ घंटे पहले ही एक प्रिफेक्ट के साथ शुरू हुआ और इसकी सूचना प्रिन्सिपल और प्रोफेसरों को थी लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिससे इस तरह की घटना न हो। इससे यही मालूम होता है कि प्रिन्सिपल और प्रोफेसर लोग भी इसमें शरीक थे। ब्राह्मण और कुर्मी के सवाल को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ था और २८ तारीख को पटना के कलक्टर ने, इस कॉलेज की स्थिति बिगड़ने के भय से, इसे बन्द कर दिया है और ६ तारीख से फिर दुर्गापूजा की छुट्टी शुरू हो जायगी। अब आप ही सोच सकते हैं कि इस तरह की शिक्षा देने से क्या फायदा और उस पर इतना खर्च करना कहां तक जायज है। अभी तो ऐसा मालूम होता है कि नालंदा कॉलेज में न कोई कमिटी है और न कोई नियम

की पाबंदी ही है। इस बीसवीं सदी में जहां चारो तरफ देशबंधुत्व की भावना फैलायी जा रही है वहां पर इस तरह की घटना ब्राह्मण और कुर्मी, ग्वाला और राजपूत आदि को लेकर हों तो कहां तक जायज है। यूनिवर्सिटी तो एक ऑटोनोमस बडी है लेकिन फिर भी जब सरकार उसको रुपया देती है और जब वहां पर इस तरह का वाक्या हो, ब्राह्मण और कुर्मी के सवाल को लेकर झगड़ा हो और लॉ ऐंड आर्डर की व्यवस्था न हो तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये, जिसमें आगे चल कर इस तरह की घटना न हो। गार्जियन तो अपने लड़के को वहां पर पढ़ने के लिये भेजता है जिसमें वह अपनी रोटी कमा सके और अपने परिवार की परवरिश कर सके लेकिन वहां पर जाने पर यदि वह छुरे का शिकार हो तो यह ठीक नहीं है। इसी तरह की एक घटना मुजफ्फरपुर में भी हुई थी। इसलिये मैं अपने शिक्षा मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे अभी से इसका कुछ इंतजाम करें क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा मेला लगनेवाला है और वहां पर भी ब्राह्मण और कुर्मी के सवाल को लेकर कोई झगड़ा न हो। हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान के झगड़े को लेकर इतना हुआ कि देश का ही विभाजन हो गया और आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के एक ही देश के दो टुकड़े बन गये। हमारे सूबे बिहार में जाति पाँति के विष को फैलने से, यदि यह सरकार न रोकेगी, समाज को आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जायेगी। इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लक्खीसराय और नालंदा के वाक्या को वह नजर-अंदाज कर और इसकी जांच कर जिस प्रिन्सिपल या प्रोफेसर का दोष हो उसके खिलाफ समुचित कारवाई करने की कोशिश करेगी। मुंगेर का कॉलेज किस वजह से बन्द हुआ इसकी भी वह जांच करायेगी और मुस्तैदी के साथ इस तरह के वाक्यों को रोकने के लिये वह कोशिश करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खतम करता हूं और इस बिल में जो शिक्षा के संबंध में मांग है और जो सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है उसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष--अभी एप्रोप्रियेशन बिल पर वादविवाद चल रहा है और इसको सीमित रखना चाहिये क्योंकि जिन आइटमों की स्वीकृति इस हाउस से मिल चुकी है उन्हीं को खर्च करने के लिये यह बिल लाया गया है। इसलिये जिन आइटम पर बहस नहीं हुई हो उसी पर बोलना चाहिये और वह भी सीमित होना चाहिये क्योंकि सभी आइटमों की मंजूरी तो इस सदन से मिल ही गयी है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--आइटम की मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन खर्च करने की इजाजत तो अभी नहीं दिये हैं।

अध्यक्ष--खैर, सप्लीमेन्टरी बजट पर वादविवाद को सीमित ही रखना चाहिये।

श्री राम चरित्र सिंह--जिन आइटम पर वादविवाद हो चुका है उन पर तो न बोलना ही अच्छा है। जिन पर वादविवाद नहीं हुआ है उन्हीं आइटमों पर बोलना अच्छा है।

अध्यक्ष--इसीलिये तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को तो बोलने का अधिकार है लेकिन जिन मांगों पर बहस न हुई हैं उन्हीं पर वे बोलने की कोशिश करें और वह भी थोड़ा-थोड़ा ही बोलें।

*श्री इग्नेस कुजुर—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी सदन के सामने खर्च करने के लिए मांग रखी है और चाहती है कि उसको ऐसा अधिकार दिया जाय। ऐसा हर साल होता है और सदन के सामने सरकार मांग रखती है और सदन से पास करा ही लेती है और इस साल भी पास करा ही लेगी। इस सदन में अब तक बहुत सी बातें कही गयी हैं, लेकिन मुझे जो तकलीफ मालूम हो रही है उसी की तरफ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष—जो आइटम है उसी पर बोलें।

श्री इग्नेस कुजुर—जो आइटम हैं उसी पर बोल रहा हूं।

मेरा कहना है कि यह सरकार लिप्रोसी हौस्पीटल खोलने के लिए शिड्युल्ड एरिया के लिए मांग की है। यह मांग जहां तक मैं जानता हूं कि शिड्युल्ड एरिया के लिए है। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में अस्पताल तो खुलेंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि उस एरिया के लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिलेगी। न उनलोगों को सीट मिलेगी और न दवा दी जायगी। उनके नाम पर संस्थाएं तो खुल जाती है लेकिन उससे उनलोगों को फायदा नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि सप्लीमेन्टरी स्टेटमेंट के आइटम ३७८ पर जो मांग है वह है आदिवासी लड़कों के लिए होस्टल खोलने के संबंध में। यह सही है कि सरकार आदिवासी लड़कों की मदद करने के लिए हमेशा मुस्तैद है और उन्हीं के लिए होस्टल खोलने की मांग की गयी है। लेकिन बात यह है कि जितने होस्टल खोले जाते हैं आदिवासी लड़कों के नाम पर, उसमें उन लड़कों को पोपुलेशन बेसीस पर ही भर्ती किया जाता है। अगर कोई लड़का उसके बाद भर्ती के लिए पहुंचता है तो उसे कह दिया जाता है कि अब सीट नहीं है अथवा यह भी कह दिया जाता है कि यह होस्टल सबों के लिए है अथवा यह भी कह दिया जाता है कि पोपुलेशन बेसीस पर आपलोगों का सीट था जो फिलअप हो गया। तो मेरा कहना है कि किया जाता तो है कोई काम आदिवासी लड़कों के नाम पर लेकिन उसको जेनरल कर दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि जो काम आदिवासी लड़कों के नाम पर किया जाय उसमें पूरा का पूरा उन्हीं को स्थान मिलना चाहिए।

दूसरी बात मुझे हटिया प्रोजेक्ट जो खुल रही है उसके संबंध में कहना है। हटिया में वहां की गांव वालों की जमीन लेने के लिए कुछ अधिक पैसे की जरूरत सरकार को हो रही है। वहां से गांव वालों को हटाया जा रहा है। इसी हाउस में पहले कहा गया था कि ६-७ गांव के जो लोग हटने वाले हैं उनलोगों को जैसी जमीन वे चाहेंगे वैसी जमीन और घर के बदले घर मिल जायेंगे। उनलोगों से यह कहा जा रहा है कि आपलोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप लोग जमीन दे दें क्योंकि यह राष्ट्र के लिए है और आपलोगों को कुछ त्याग करना होगा। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार आपलोगों के लिए सब कुछ ठीक कर देगी। वहां के गांव वालों ने नजदीक की ही जमीन दिखलायी कि यही जमीन हमलोगों को मिल जाय जिसमें हमलोग बस जांय, लेकिन वह जमीन उनलोगों को नहीं मिली। जो जमीन सरकार उनलोगों को दिखलाती है वह जमीन उनलोगों को पसन्द नहीं होता है और जो जमीन वे लोग पसन्द करते हैं, वह जमीन उनलोगों को नहीं मिलती है। उनलोगों से यह भी कहा गया कि जमीन ली जा रही है उसका मुआवजा भी मिल जायगा।

उनलोगों से कम रेट में जमीन भी ले ली गयी, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं दिया गया। उन लोगों से जमीन भी ली जा रही है, घर भी लिया जा रहा है और वे डिसपोजेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार जो काम करने जा रही है, वह करे, लेकिन उनलोगों को पैसा दे दे और जहां वे लोग जमीन मांगें, वहां जमीन दे दें।

कुछ लोगों को कहा गया कि चाहते हो तो हजारीबाग जिले में जाओ वहां पर जमीन ठीक कर दी गई है। लेकिन इससे हुआ यह कि वे बेचारा कहीं का नहीं रहे। वहां से तो उखड़ ही गये और हजारीबाग की हवा में उन्हें जगह बतला दी गई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वहां से हटना ही है तो सरकार ने कह दिया कि तुम्हारी जमीन तो ले ली गई, तुम मुआवजा चाहते हो या नहीं, सरकार ने रुपया रख दिया है। अब देखा जाय, हुजूर, उन बेचारे ने खेती की है और बरसात के बाद, या बरसात में ही इच्छा हुई कि वहां से हटा दें तो उन्हें जाना होगा बिना अपनी फसल को काटे हुए? तो हालत यह है कि न सरकार ने पैसा दिया और न कुछ इंतजाम किया, वह बेचारा बैठा हुआ है, वह जानता तक नहीं है कि उसे कहां जाना है और कब जाना है। हालत वहां की बहुत खराब है। जिनके-जिनके घर लेने की जरूरत पड़ रही है उन्हें हटना पड़ रहा है।

अध्यक्ष—शान्ति। सरकार तो वहां गई थी, आपलोगों को दिखलाना चाहिए था?

श्री इग्नेस कुजूर—हुजूर, सरकार ऐसे मौके पर जाती है कि उन्हें कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता और पहले से बनी हुई तस्वीर तैयार रखी रहती है और वही चीज सरकार को नजर आती है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इन्हीं बातों को कहना था मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने अर्ज किया इसकी सुधार के लिए चेष्टा सरकार करेगी।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा संक्षेप में ही अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करेंगे।

*डा० जी०पी० त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, यह ऐप्रोप्रिएशन बिल जो सभा के सामने है इसके मुतल्लिक संक्षेप में ही, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश है, मैं बतलाना चाहता हूं और सिर्फ एक दो आइटम के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं।

पहली चीज डी०एस०पी० के चार पोस्ट्स को इस साल रिटेन करने की गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में यह कहना है।

अध्यक्ष—कहां, यह कौन आइटम है?

डा० जी०पी० त्रिपाठी—पेज ११३ पर आइटम ५६ को आप देखें। इसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि पुलिस के डी०एस०पी०, जिनको हम जनमत की रक्षा के लिए रखते हैं उनका क्या हाल है, यह जरा देखा जाय। गिरिडीह में एक डी०एस०पी०, हैं जिनका एक घटना है कि दस दिन हुए एक लोकल डाक्टर डा० एम०के० दास के

यहां वे एक रोज शाम को गये और उन्होंने कहा कि मेरे यहां चलिए कोई बीमार है और उनका खून और पैखाना जांच करना है। डाक्टर ने जवाब दिया कि यह काम मैं खुद नहीं करता, मुझको जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे डाक्टर हैं उनसे काम लेता हूं इसलिए आप वहीं चले जांय। मैं यह काम औफिशियली नहीं करता हूं। मगर डी०एस०पी०, साहब ने कहा कि नहीं आप अवश्य चलें। डाक्टर ने जाने से इन्कार किया। इसपर उन्होंने कहा जैसा कि दूसरे डाक्टर ने कहा है, टोटल डिफरेन्शियल काउन्ट करना है, आप स्लाइड पर खून जांच कर दें। डाक्टर ने कहा कि यह काम हम नहीं कर सकते हैं। इसपर डी०एस०पी० साहब ने कहा कि नहीं, आपको करना ही होगा, आप जानते नहीं हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? डाक्टर ने जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि मैं एक भले आदमी से बात कर रहा हूं। जो असिस्टेंट सर्जन आपके रोगी का इलाज करता है, आप उन्हीं से खून देकर जंचवा लीजिए। इसपर डी०एस०पी०, ने उन्हें गाली दी और स्लाइड डाक्टर की ओर फेंक दिया जिससे डाक्टर को चोट लगी। चोट की बात तो खैर ऐसी नहीं है जितना इनसल्ट की बात है। आप देखें कि एक सरकारी अफसर, खास करके एक पुलिस औफिसर जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, और कर्टिअसली बिहेव करेंगे लेकिन वह, जो दूसरों को तहजीब सिखाते हैं, खुद नहीं जानते कि कैसे बर्ताव करना चाहिये। इस घटना के बारे में डाक्टर ने मेरे पास एक लिखित दरखास्त दी है इसलिए कि मैं वहां का वाइसप्रेसिडेंट हूं। डी०सी० को कौपी दी गई है और डी०आई०जी०, को भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आज ऐप्रोप्रिएशन बिल में चार डी०एस० पी० के रीटेन्शन के लिए मांग की गई है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इसका माननीय मंत्री जवाब दें।

दूसरी एक और बात यह है कि पेज १२९ के आइटम १९० में आप देखें कि चार डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ हेल्थ को रीजनल डाइरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में अपग्रेड किया गया है। इनका काम उस इलाके के लोगों को देखना है कि वे स्वस्थ्य हैं या नहीं और स्वास्थ्य संबंधी जितनी चीजें हैं उनकी देख-रेख करना है और स्वास्थ्य संबंधी ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है।

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, मेरा एक प्वायन्ट औफ आर्डर है। सप्लीमेन्टरी बजट में आइटम वाइज बहस करना है और इसका रेफरेन्स देकर ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल सकते हैं। हम समझते हैं कि जेनरल तरीके से ऐप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में बहस कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आइटम का यहां रेफरेन्स नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष—स्पेसिफिक आइटम पर ही बोलने देंगे, इसके अलावे और कुछ नहीं बोलने देंगे लेकिन आप अपने को भी नियम के अन्दर ही रखें। इस पर हाउस का फैसला हो गया है। डाक्टर साहेब भी समझदार आदमी हैं, वे स्पेसिफिक आइटम पर ही बोलेंगे लेकिन अब दो बज चुका है इसलिये वे अन्तराल के बाद बोलेंगे।

(अन्तराल)

डा० जी० पी० त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि रिजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज का क्या-क्या काम है। इस राज्य के अन्दर जितने रहनेवाले हैं उनके

स्वास्थ्य संबंधी जितने भी नियम हैं उनको देखना और इसके अलावे ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम को भी देखना, उनका काम है। डेवलपमेंट कमिटी की जो मिटींग हुई उसमें मैंने सुझाव डिप्टी कमिश्नर के सामने दिया कि हैजा और टायफायड का सीजन आनेवाला है, हर साल बरसात में ये बिमारियां आती हैं, इसलिये टी० ए० वी० वैक्सिन देने की आवश्यकता है ताकि यह बीमारी नहीं फैलने पावे। इसके लिये राज्य सरकार की और भारत सरकार की भी स्कीम है। डाक्टरों की जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं उसका भी सुझाव है कि हैजा और टायफायड को रोकने के लिए टी० ए० वी० वैक्सिन दिया जाय। इसके दे देने से करोड़ों रुपए क्लोरोमाइसिटीन आदि दवाओं में खर्च होते हैं, जो दवा विलायत से आती है, उस रुपए की बचत होगी और लोग भी स्वस्थ्य रहेंगे। इस दिशा में तीन महीने के अन्दर तीन मीटिंग हुई सब में सजेशन दिए गए लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है।

अब मैं इस विभाग के ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुत्तल्लिक कहना चाहता हूँ। पलामू जिले में हरिहर गंज नामक गांव में एक डिसपेन्सरी है वहाँ एक डाक्टर हैं, जो १८ वर्षों से वहीं काम कर रहे हैं। मैं तो कानून का स्टुडेन्ट नहीं हूँ लेकिन शायद १२ वर्ष हो जाने से अकुपेन्सी राइट हो जाता है। १८ वर्ष से वे वहाँ हैं इसके अन्दर क्या रहस्य है यह कहना तो मुश्किल है। चार महीना पहले उनका ट्रान्सफर हो गया था लेकिन उसके बाद वहां एक मीटिंग हुई जिसमें सरकार के तरफ से भी मिनिस्टर आदि गए थे, पार्टी हुई और उनका ट्रान्सफर रूक गया। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नही कह रहा हूँ लेकिन इनके सिद्धांत की बात मैं कह रहा हूँ।

श्री अम्बिका सिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे १८ वर्षों से गवर्नमेंट सर्विस में हैं और हरिहरगंज में ही हैं?

डा० जी० पी० त्रिपाठी—वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल है, गवर्नमेंट से सबसिडाइज्ड डिसपेन्सरी है लेकिन अब तो यह अस्पताल सरकार के ही अधीन है चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार ने लिया है।

श्री अम्बिका सिंह—मैं केवल पूछ रहा हूँ कि क्या वे १८ वर्षों से गवर्नमेंट सर्विस में हैं और हरिहरगंज में ही हैं? जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार के हाथ में आया है तब से जो घटना घटी है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है लेकिन उसके पहले क्या हुआ उसके बारे में कैसे कुछ कहा जा सकता है। यदि वे १८ वर्षों से वहीं हैं तो उनकी अब बदली कर दी जायगी। यह मेरे कहने का मतलब है।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो कहा कि चार महीना पहले उनका ट्रान्सफर हो गया था लेकिन न जाने किस वजह से फिर उनकी बदली रोक दी गयी।

अध्यक्ष—वहाँ के अधिकारियों ने लिखा होगा कि उनको अभी यहाँ रहने दिया जाय।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या बात हुई। मुझे व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करना भी नहीं है। मैं इनकी पौलिसी के मुत्तल्लिक कह रहा हूँ।

इस राज्य में एक हेल्थ कौंसिल बनी थी, ताकि मेडिकल एशोशिएशन के जितने मेम्बर हों वे स्वास्थ्य संबंधी उचित राय दें। इसकी पहली मीटिंग (बैठक) जून १९५६ में हुई और दूसरी बैठक आजतक हुई ही नहीं। अगर सरकार वाकई चाहती है कि स्वास्थ्य संबंधी चीजों को अच्छी तरह लागू करें तो उसे हेल्थ कौंसिल की राय मांगनी चाहिए थी। इसके लिए मैंने मेडिकल एशोशिएशन को भी लिखा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

एक चीज और मैं रेवेन्यु डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—यह आइटम के बाहर है।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—रेवेन्यु डिपार्टमेंट में मुन्सरिम की बहाली हो रही है। इनकी बहाली ५० रुपए के तलब पर हो रही है।

अध्यक्ष—मुन्सरिम का तो डिसपोज्ड आॅफ हो गया।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—मैं अपनी राय दे रहा हूँ।

अध्यक्ष—मुन्सरिम और सेल्स टैक्स तो डिसपोज्ड आॅफ हो चुका है। अब इसके बारे में नियमानुसार राय नहीं दे सकते हैं।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—अच्छी बात है, पर सब के बारे में तो बातें हो ही चुकी हैं। रेवेन्यु के बारे में हो ही चुकी है, सेल्स टैक्स के बारे में भी हो ही चुकी है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में असिसटेन्ट सुपरिन्टेंडेन्ट (सहायक अधीक्षक) को बहाल कर पैसा खर्च करते हैं लेकिन माइका के बारे में जो सजेशन दिए गए हैं उन्हें यदि मान लें.........

श्री अम्बिका सिंह—एक बार माननीय सदस्य से बात हुई थी कि सेल्स टैक्स माइका पर से उठा लेना चाहिए, मैंने इस पर विचार भी किया है, अभी अन्डर कनसीडरेशन (विचाराधीन) है।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—मुझे इतना ही कहना है कि सरकार जितना रुपया असिसटेन्ट सुपरिन्टेंडेन्ट (सहायक अधीक्षक) के बहाली पर खर्च कर रही है उसको नहीं करके यदि माइका के बारे में कमिटी ने जो राय दी है उसको मान लें तो सरकार को देश के अन्दर पैसा मिलेगा ही विदेशों से भी पैसा पा सकती है।

श्री अम्बिका सिंह—इसको तो एक्जामिन कर रहे हैं, कह ही दिया है।

डा० जी० पी० त्रिपाठी—हाउस के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी इसलिए कह दिया।

श्री अम्बिका सिंह—आपको जानकारी जरूर थी, और किसी को हो या नहीं।

श्री कार्यानन्द शर्मा—अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हस्तक्षेप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ होता है। २५ सितम्बर को जब कुछ लोग आरा के अन्डर ट्रायल प्रिजनर से मिलने गये तो वहाँ के जेल अधिकारियों ने कहा कि एस० डो० ओ० से इसकी अनुमति लाइये।

श्री अम्बिका सिंह—यह किस आइटम से उठता है?

श्री कार्यानन्द शर्मा—पृष्ठ ९, आइटम १८ से, जिसमें चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के के लिये २५ हजार रुपये की मंजूरी की बात है।

अध्यक्ष—उस पर बहस हो चुकी है।

श्री कार्यानन्द शर्मा—ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का इन्टरफिअरेन्स दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है, इस पौलिसी पर बहस नहीं हुई है। मैं नियम १८८ (३) पढ़ देना चाहता हूँ।

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under discussion."

अध्यक्ष—मैं इसे मंजूर नहीं करता हूँ, दूसरी बात कहें।

श्री कार्यानन्द शर्मा—मैं आपके फैसले को मान लेता हूँ। आइटम ७९; पेज २० में पुलिस विभाग को मोटर लन्च के लिये रुपया दिया जा रहा है और इस पर बहस नहीं हुई है। १४ सितम्बर से जो सत्याग्रह महंगाई और टैक्स के विरोध में चल रहा है उसमें पुलिस का व्यवहार बहुत ही खराब रहा है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—यह कैसे रेलिभेन्ट है।

श्री कार्यानन्द शर्मा—इसलिये रेलिभेन्ट है कि पुलिस के लिये मोटर लन्च पर खर्च किया जाता है लेकिन उसका व्यवहार जनता के साथ अच्छा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष—मोटर लन्च को देने से पुलिस को दुर्व्यवहार करने का और भी मौका मिलेगा।

श्री कार्यानन्द शर्मा—यह बात सही है, यदि उनको और भी सुविधा दी जायगी तो उनका दुर्व्यवहार बढ़ता ही जायगा। १४ सितम्बर से अबतक ५७ बार सत्याग्रहियों को पुलिस ने जूता तथा लाठी से मारा है। यदि कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस को उसे

मारने का अधिकार नहीं है। यदि पुलिस किसी हत्यारे को, चोर या डकैत को पकड़ती है तो उसे मार नहीं सकती है, कानून के अनुसार ही उस पर कारंवाई कर सकती है।

अध्यक्ष—एक उदाहरण तो दे चुके, दूसरा उदाहरण दीजिये।

श्री कार्यानन्द शर्मा—जो लोग पीटे जाते हैं उनको अस्पताल में भी भर्ती नहीं की जाती है।

अध्यक्ष—यह अस्पताल का आइटम नहीं है।

श्री कार्यानन्द शर्मा—हमारे साथी कपिलदेव सिंह ने लक्खीसराय की घटना की जो चर्चा की है उससे मालूम होता है कि पुलिस जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। जब कोई बड़ा आदमी कानून तोड़ता है तो पुलिस और सरकार के बड़े-बड़े अॅफसर भी उसका साथ देते हैं। लक्खीसराय में दशरथ राय को पुलिस ने मारा जिसके कारण वहाँ के १० हजार लोगों ने मिटिंग की और स्ट्राइक किया।

अध्यक्ष—उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी, क्या आप भी यही करना चाहते हैं?

श्री कार्यानन्द शर्मा—मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इतना सतर्क होना चाहिये कि इस तरह की और कोई घटना नहीं होने पावे और जनता सरकारी अधिकारियों का शिकार न बन सके।

और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी जो एप्रोप्रिएशन लाया गया है और इस समय जो सरकार की रवैया है ऐसी हालत में मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष—इसको अब स्थगित करता हूँ। इसको फिर कब लूंगा इसकी सूचना पीछे दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव: दरभंगा बेसिक स्कूल होस्टल की लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट का निलम्बन।

ADJOURNMENT MOTION:

SUSPENSION OF THE LADY SUPERINTENDENT OF DARBHANGA BASIC SCHOOL HOSTEL.

श्री कृष्णकान्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अर्ज करना है, उस रोज भी अर्ज किया था और आज भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो एडजोर्नमेंट मोशन हुजूर ने एडमिट किया है हम सबों को मान्य है। इस एडजोर्नमेंट मोशन के अन्दर जरा सन्जिदगी से काम लेना चाहिये। जिस परिस्थिति में उस रोज यह एडजोर्नमेंट मोशन हुजूर ने मंजूर किया उसके आज की परिस्थिति विभिन्न है। आज यह मामला सबजुडिस हो गया है। जिस चीज की चर्चा यहां की गई है, जिसका पहले हवाला दिया गया है,